प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 01.01.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 5262 द्वारा बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5262 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत हैंसर बाजार से कालर द्वारा बाइक फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति चालक (01.दीपक पुत्र बटोही निवासी दुघरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 शनि गौड़, हो0चा0 धर्मेन्द्र कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 441 वाहनों से 4,55,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनाँक 01.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 441 वाहनों से 4,55,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- **जनपद के समस्त थानों द्वारा 72 स्थानों पर 1818 व्यक्तियों को किया गया चेक।**
- **82 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।**
- **13 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।**
- **1215 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।**

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 350 व्यक्तियों को चेक किया गया, 310 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 03 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 14 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 197 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 70 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 10 स्थानों पर 326 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 210 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 12 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 25 स्थानों पर 310 व्यक्तियों को चेक किया गया, 05 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 280 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 25 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06 .थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 150 व्यक्तियों को चेक किया गया, तथा 90 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 05 स्थानों पर 190 व्यक्तियों को चेक किया गया, 45 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदो के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 02 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 105 व्यक्तियों को चेक करते हुए 80 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 03 स्थानों पर 70 व्यक्तियों को चेक किया गया, 60 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 69 स्थानों पर 2525 वाहनों को किया गया चेक।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 60 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले दो पहिया वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 06 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों पर शासकीय तथा जाति सूचक शब्द लगे होने पर की गयी कार्यवाही।
- ☐ मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1669 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 01.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।